

कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्र संख्या- 1234/ग्रा0अ0से0/टेके0पंजी0/व0स0-1/2018-19, दि0- 8/2/2019  
पंजीकरण संख्या- 458 / श्रेणी- बी-मार्ग/2019

:-पंजीकरण प्रमाण-पत्र :-

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल अलीगढ के पत्र संख्या-1510/दिनांक-04-02-2019 से प्राप्त मैसर्स जसवन्त सिंह कान्द्रैक्टर एण्ड सप्लायर (प्रो0-श्री जसवन्त सिंह)ग्राम सिल्ला विसावनपुर,पोस्ट-रहेसपुर तह0-कोल, जनपद-अलीगढ के 'बी' श्रेणी में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स जसवन्त सिंह कान्द्रैक्टर एण्ड सप्लायर (प्रो0-श्री जसवन्त सिंह)ग्राम सिल्ला विसावनपुर,पोस्ट-रहेसपुर तह0-कोल, जनपद-अलीगढ को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मे मार्ग निर्माण कार्य के लिये श्रेणी 'बी' में टेकेदारी हेतु दिनांक-30-06-2021तक की अवधि के लिये एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्रान्तर्गत उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद,मेरठ, सहारनपुर,आगरा, अलीगढ, चित्रकूटधाम बाँदा एवं झाँसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30-06-2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

40/—  
(अनिल कुमार गर्ग)  
मुख्य अभियन्ता(प0क्षेत्र)

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रातिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ।
- 2- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग(पश्चिमी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पी0आई0यू0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियंता(पूर्वी क्षेत्र)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 5- निदेशक एवं मुख्य अभियंता(नियोजन)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- मैसर्स जसवन्त सिंह कान्द्रैक्टर एण्ड सप्लायर (प्रो0-श्री जसवन्त सिंह)ग्राम सिल्ला विसावनपुर,पोस्ट-रहेसपुर तह0-कोल, जनपद-अलीगढ (मो0न0-9927769358,ई-मेल-singhjaswant5846@gmail.com) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अभिलेखों मे आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना ससगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाए तथा अभिलेखों में इगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जाएगा।
- 7- अवर अभियंता (प्राविधिक) कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/टेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट अपलोड करना सुनिश्चित करें।



Aug 2-19  
मुख्य अभियन्ता(प0क्षेत्र)